संलग्नक 10

अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे गए व्यक्तियों के रहने के विनियम।

अनुच्छेद 1

1. अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे जानेवाले व्यक्ति तुरंत निम्नलिखित बातो के बारे में सूचित किया जाता है:

1) कि उसके अधिकार और दायित्वा क्या हैं, इन विनियमों से उसे परिचित कराने के द्वारा। अल्पकालिक हवालात कमरे में भर्ती होनेवाला व्यक्ति इन विनियमों पर हस्ताक्षर करके इस बात की पुष्टि करता है कि वह अल्पकालिक हवालात कक्ष में रहने के विनियमों से परिचित हो गया है;

2) यदि वे लगाए गए हैं - कि अल्पकालिक हवालात कमरे में निगरानी के उपकरण लगाए हैं, जिसमें देखने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जानेवाले उपकरण शामिल हैं।

2. अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे जाने से एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे रह सकता है।

3. अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे पोलिश भाषा न जाननेवाले व्यक्ति को उसके अल्पकालिक हवालात कमरे में रहने से संबंधित बातों के लिए अनुवादक की सेवा प्रदान की जाती है।

4. यदि अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे जानेवाले व्यक्ति के साथ संपर्क उसकी चेतना में विकार के कारण मुश्किल है, तो धारा 1 में निर्दिष्ट गतिविधियाँ यह विकार समाप्त होने के बाद करनी चाहिएँ।

5. यदि हिरासत में लिए हुए व्यक्ति के साथ उसकी चेतना में विकार के कारण संपर्क मुश्किल होने के कारण उसे दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य अधिनियमों के अधीन उसके अधिकारों के बारे में परिचित नहीं कराया गया, तो उसे चेतना का विकार ख़त्म होने के बाद उन अधिकारों से परिचित कराना चाहिए। हिरासत में लिया गया व्यक्ति हिरासत में लिए जाने के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करके इस बात की पुष्टि करता है कि वह अपने अधिकारों से परिचित हो गया है।

अनुच्छेद 2

1. अल्पकालिक हवालात कमरे में रखा जानेवाला व्यक्ति अपना पूरा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और जन्म स्थान, अपने निवास स्थान या रहने के स्थान और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

2. अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे जानेवाले व्यक्ति की तलाशी ली जाती है।

अनुच्छेद 3

1. अनुच्छेद 2 के अंक 2 में उल्लिखित तलाशी के दौरान मिली और व्यक्ति से ली गई चीजों को अमानत के पर्चे पर उनका विवरण लिखके अमानत में जमा किया जाता है। अल्पकालिक हवालात कमरे में रखा जानेवाला व्यक्ति और अमानत के पर्चे पर वर्णित चीजों को अमानत में रखनेवाला पुलिस अधिकारी दोनों अमानत के पर्चे पर हस्ताक्षर करते हैं।

2. अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे जानेवाले व्यक्ति के अमानत के पर्चे पर हस्ताक्षर करने से इनकार या हस्ताक्षर करने में असमर्थता का उल्लेख अमानत के पर्चे पर किया जाना चाहिए, और इस प्रक्रिया में

उपस्थित दूसरा पुलिस अधिकारी अपनी उपस्थिति की पुष्टि के लिए अमानत के पर्चे पर हस्ताक्षर करता है।

3. (निरसित)

4. अनुच्छेद 2 के अंक 2 में उल्लिखित तलाशी के दौरान व्यक्ति से ली गई चीजें उसके अल्पकालिक हवालात कमरे में प्रवास के दौरान उसे वापस नहीं दी जा सकतीं।

अनुच्छेद 4 अल्पकालिक हवालात कमरे में रखा गया व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा बताए गए कमरे में जाने पर बाध्य है, और:

1) अलग लिंग के व्यक्तियों को अलग कमरों में रखा जाता है;

2) शराब का नशा उतारने के लिए लाए गए व्यक्तियों को और नशा में न होनेवाले व्यक्तियों अलग कमरों में रखा जाता है;

3) 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को और वयस्क व्यक्तियों को अलग कमरों में रखा जाता है।

अनुच्छेद 5 अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे गए व्यक्ति को निम्किल्कित अनिवार्यताओं के बारे में सूचित किया जाता है:

1) कि इन विनियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है;

2) कि अल्पकालिक हवालात कमरे में ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है;

3) कि सामाजिक सह-अस्तित्व के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है;

4) कि व्यक्तिगत स्वच्छता और अल्पकालिक हवालात कमरे की सफ़ाई का ध्यान रखने की आवश्यकता है;

5) कि अल्पकालिक हवालात कमरे के उपकरणों का इच्छित उद्देश्य के अनुसार उपयोग करने की आवश्यकता है;

6) कि मानव जीवन या स्वास्थ्य के लिए किसी भी खतरे, अल्पकालिक हवालात कमरे के किसी उपकरण के विनाश, या ख़तरनाक परिणामोंवाली अन्य घटना के बारे में पुलिस अधिकारी को तुरंत सूचित करने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 6 अल्पकालिक हवालात कमरे में रखा गया व्यक्ति अपने कपड़े, अंडरवियर और जूते इस्तेमाल करता है।

अनुच्छेद 7 अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे हुए व्यक्ति को निम्नलिखित चीज़ें और सेवाएँ प्रदान की जाती हैं:

1) चिकित्सा देखभाल का उपयोग करना संभव है;

2) व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक स्वच्छता सुविधाओं और सफ़ाई उत्पादों का उपयोग करना संभव है;

3) सिगरेट पीना संभव है, आंतरिक मामलों के मंत्री के अधीनस्थ परिसरों में और व्यक्तियों के परिवहन के साधनों पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग की शर्तों के बारे में प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर, जब तक यह अल्पकालिक हवालात कमरे में रहनेवाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में बाधा नहीं डालता है;

4) चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवाइयाँ लेना संभव है, जो केवल चिकित्सक की सहमति से और उसके साथ की गई व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराई जा सकती हैं; अल्पकालिक हवालात कमरे में रखे गए व्यक्ति को चिकित्सक चिकित्सक या पुलिस अधिकारी देता है, चिकित्सक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार;

5) कमरे के ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारी के माध्यम कक्ष के प्रभारी पुलिस की संगठनात्मक इकाई के प्रमुख के पास निवेदन, सिकायत और अनुरोध दायर करना संभव है।

अनुच्छेद 8 (निरस्त)